

FROM No.III

फॉर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत अहायक क्लेयर (S.O.) मुकाम आयत

अच्युताराम बनाम जीया राज

किस्म मुकदमा 111, 128 R/R अ.नं. 306 सन् 2021

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24.12.21	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>अच्युत पुज्ड</u>  ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 R/R</u> अ.नं.  राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।  जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन  तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>10.1.22</u> को पेश हो।</p>	
10/01/2022	<p><del>प्रार्थी वकील उपरिपत्र/विप्रार्थीगिरी</del>  के नोटिस तामिल अहम तामिल डाप्राप्त /  इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक  <u>08/03/2022</u> को पेश हो।</p>	
28/02/2022	<p><del>प्रार्थी वकील उपरिपत्र/विप्रार्थीगिरी</del> के नोटिस  तामिल अहम प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली विप्रा  गया। विप्रार्थीगिरी काकजुड तामिल अनुपरिपत्र/प्रार्थी  लग्न समय तीन बजे प्रावाज लगाई गई किन्तु  प्रावाज 5:45 PM पर लगाई गई विप्रार्थीगिरी स्वयं  या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपरिपत्र नहीं दुप्रा  लिहाजा विप्रार्थीगिरी के विरुद्ध एडवोकेट डाप्राप्त/प्रार्थी  में लाई जाती है। अतः पत्रावली अहम पत्रावली  दिनांक <u>08/03/2022</u> को पेश हो।</p>	

सहायक क्लेयर  
(S.O.)

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>
--------------------	--

न्यायालय उप  
 5/ 2022/ 565-  
 प्रार्थी  
 जखलारन पुन लोनारन वर  
 जाते जट निवारी  
 पटवार नखमंदि  
 तहसील

08/03/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण अनुपस्थित /  
 प्रार्थी वकील कदम दिला इतना करते हैं  
 अवलर रिमा जाडर पत्रावली दिनांक 04/05/2022  
 से पत्रावली /  
 सहायक कलेक्टर (SDO)  
 बायतु  
 जिला - बाडमेर

04/05/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण बावजुद  
 तामिल अनुपस्थित / प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई,  
 प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं  
 विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी  
 एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे  
 बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है  
 जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को  
 लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने  
 खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी  
 करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को  
 स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का  
 नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिडा को  
 कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि  
 आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू अ. निरीक्षक से प्रार्थी के  
 खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क  
 जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल  
 पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो,  
 दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर  
 (SDO) बाडमेर

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 565

दिनांक : 04/05/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. अचलाराम पुत्र सोनाराम वगैरा 03,  
जाति जाट, निवासी मालदेता,  
पटवार मण्डल गिड़ा,  
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)


1. जीयाराम पुत्र लालाराम वगैरा 37,  
जाति जाट, निवासी मालदेता,  
पटवार मण्डल गिड़ा,  
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 386 / 2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - मालदेता, पटवार मण्डल - गिड़ा, तहसील - गिड़ा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 109/68, 110/68, 29 रकबा क्रमशः 8.1342, 3.8526, 0.5908 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



(जगदीश सिंह आशिया)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 04/05/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 566 - 570

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का गिड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री अचलाराम पुत्र सोनाराम वगैरा 03,
4. विप्रार्थी श्री जीयाराम पुत्र लालाराम वगैरा 37,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
(SDO) बायतु